समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला पंचायत राज कार्यालय)
आदेश

इस कार्यालय के पत्रांकः-1112/पं0,दिनांकः-19.09.2019 के द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष - 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष - 001- निदेशन एवं प्रशासन -उपशीर्ष - 0003 - जिला पंचायत की स्थापना" के अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु वेतनादि मद में वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए **कुल ₹** 33,55,850/- (तेतीस लाख पचपन हजार आठ सौ पचास) **मात्र** का आवंटन अवशेष रखा गया था ।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, वरियारपुर के पत्रांकः-1154 दिनांकः-31.10.2019 के द्वारा प्राप्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष - 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम लघुशीर्ष - 001- निदेशन एवं प्रशासन -उपशीर्ष - 0003 - जिला पंचायत की स्थापना" के अन्तर्गत प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव एवं प्रमुख के आदेशपाल हेतु वेतनादि मद में वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए **कुल ₹** 20,00,000/- (बीस लाख) **मात्र** का आवंटन का मांग किया गया है । पूर्व में जिला पंचायत सुरिक्षत मद में रखी गयी राशि से अधोलिखित पदाधिकारियों को राशि उपावंटित किया जाता हैं।

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	वेतन (0003.01.01)	जी0 या0 भत्ता (003.01.03)	मकान भत्ता (0003.01.04)	चिकित्सा भत्ता (003.01.06)	परि0 भत्ता (003.01.05)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला पंचायत राज सुरक्षित	2500000	606000	162000	55600	32250	3355850
2	प्र0 वि0 पदा0, बरियारपुर	1800000	306000	100000	40000	32250	2278250
3	प्र0 वि0 पदा0, संग्रामपुर	700000	300000	62000	15600	0	1077600
	कुल योग -	2500000	606000	162000	55600	32250	3355850

कुल ₹ 33,55,850/- (तेतीस लाख पचपन हजार आठ सौ पचास) **मात्र।**

1. उपावंटित राशि की निकासी पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मी को ही की जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
2. उपावंटित राशि की निकासी करते समय कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लधु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मुहर ईकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढ़ग से हो सके।
3. उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
4. उपवांटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि (2) दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं 256 दिनांक 26.02. 2019 तथा 3392 दिनांक 01.03.2019 एवं 732 दिनांकः-31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
5. उपावंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक है,तो उसका भुगतान किया जाय । ततपश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाय यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है,तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी कराना सुनिश्चित करें।
6. उपावंटित राशि की निकासी के पश्चात व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 5वीं तिथि तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
7. उपावंटित राशि की निकासी का मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या- 16-2515000010003 है।
8. उपावंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आंवटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय, तथा भुगतान के औचित्य ये पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाय, तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी ।

ह0/

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...1228..... /पं0, दिनांक...31/10/2019...

प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, वरियारपुर एवं संग्रामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-5प/ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय -01-05/2019/45(आ0)/पं0रा0, दिनांक 06.09.2019 के के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

31/10/19

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुंगेर।